संख्या: 6/2018/871/12-2-2018-60(10)/2017

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2018

विषय: वर्ष 2018-19 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को बीमित किए जाने हेतु लक्ष्य का निर्धारण।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार व प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना जिसकी नियमित समीक्षा शासन स्तर एवं भारत सरकार स्तर पर की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत क्षेत्रको योजनान्तर्गत आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीमा कवरेज प्रदान किए जाने हेतु योजना के प्राविधानों के अनुरूप बैंक शाखाओं द्वारा सभी पात्र ऋणी कृषकों का अनिवार्य रूप से बीमा कवरेज किया जाना है। साथ ही अधिक से अधिक गैर ऋणी कृषकों की योजना में भागीदारी निकटम बैंक/जनसुविधा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है।

2. प्रदेश में कृषकों की भागीदारी बढाये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बीमा कम्पनियों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रत्येक जनपद में कुल कृषकों की संख्या के कम से कम 5 प्रतिशत कृषकों को गैर ऋणी कृषक के रूप में योजनान्तर्गत बीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. आगामी खरीफ, 2018 के लिए फसलों का बीमा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक किया जा सकेगा। बैंकों से ऋण लेने वाले कृषकों के लिए फसली बीमा अनिवार्य है किन्तु बैंकों द्वारा इस कार्य में पर्याप्त रूचि नहीं लिए जाने के कारण प्रदेश में बीमित कृषकों की संख्या हमेशा अपेक्षा से कम रहती है। आपसे अनुरोध है कि अप्रैल, 2018 के प्रथम सप्ताह में जनपद के समस्त बैंकर्स एवं नोडल बीमा कम्पनी की एक बैठक बुलाकर कृषकों को जागरूक करने की रणनीति बना लें तथा बैंकर्स को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दें कि समस्त ऋणीं किसानों का बीमा अनिवार्य रूप से खरीफ, 2018 में करवाया जाए।

4. गैर ऋणी किसानों के लिए फसली बीमा स्वैच्छिक है किन्तु फसलों को बीमित किया जाना कृषकों के हित में है। गैर ऋणी कृषकों का बीमा करने में जनपद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के बैंकों की रूचि/भूमिका अत्यन्त न्यून है, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बीमा कम्पनियों के द्वारा बीमित करने की अवधि के दौरान विकास खण्डों में शिविर लगाये जायें, जिससे गैर ऋणी- इच्छुक कृषक आसानी से अपनी फसलों का बीमा करवा सकें। यह भी उपयुक्त होगा कि कृषि विभाग के फील्ड स्तरीय कर्मचारियों को गैर ऋणी कृषकों को बीमित करवाने हेतु लक्ष्य दे दिये जायें। उनका यह दायित्व होगा कि विकास खण्ड स्तर पर लगने वाले इन शिविरों में तथा इसके अतिरिक्त कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से गैर ऋणी कृषकों का बीमा करवायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपने नेतृत्व में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का आगामी खरीफ के दौरान अत्यन्त सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 6/2018/871(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।